

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI - 110054.

Dated: 21/12/2017

NOTIFICATION

No. F. 8(37)/2016/DAM/MR/3552 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby nominates the following persons to be the Members of the Agricultural Produce Marketing Committee, Keshopur, Delhi, namely:-

THREE NOMINATED AGRICULTURISTS

1. Sh. Jaipal Singh, : Member
S/o Late Sh. Bharat Singh
H. No. 665, Vill. & P.O.- Mundka,
Delhi- 110049.
2. Sh. Jag Mohan, : Member
S/o Sh. Sushil Kumar
Village Shikarpur, Delhi- 110043.
3. Sh. Narender, : Member
S/o Sh. Yad Ram
H. No. 60, Chakki Wali Gali,
Vill. & P.O. Kanganheri, Chhawla,
New Delhi- 110071.

TWO ELECTED TRADERS AND COMMISSION AGENTS

1. Sh. Ajay Pal, : Member
WZ-159-A Village Tihar,
New Delhi-110018.
2. Sh. J.P. Asnani, : Member
2/43A, Old Mahavir Nagar,
Tilak Nagar,
New Delhi- 110018.



ONE REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

1. Sh. Rajiv Kumar (Ward - 029- S) : Member

ONE NOMINATED MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY


1. Sh. Jarnail Singh, MLA : Member
15/5- A, Tilak Nagar,
New Delhi- 110018.

TWO NOMINATED MEMBERS TO REPRESENT THE INTEREST OF CONSUMERS

1. Sh. Radhe Shyam : Member
S/o Late Sh. Budh Prakash Sharma
E-24 & 25, Vikas Nagar,
Delhi- 110059.
2. Sh. Jahangir Firdosh : Member
S/o Late Sh. Jainuddin Ahmed
E-49/A-298, St. No.2,
Janta Mazdoor Colony, Delhi- 110053.

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the Members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the Official Gazette. They shall hold office for a term of three years as provided under section 41 of the said Act.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,



(SAKSHI MITTAL)
JOINT SECRETARY (AM)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8(37)/2016/DAM/MR/3SS3-67

Dated: 21/12/2017

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- 2 The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 4 The Pr. Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
- 9 The Chairman, Vice Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra-Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruits & Vegetable Market), Gazipur, Delhi, Fish Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
- 13 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 14 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 15 Guard file.


(SAKSHI MITTAL)
JOINT SECRETARY (AM)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49, शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 21/12/2017

अधिसूचना

सं.एफ 8(37)/2016/डी0ए0एम0/एम0आर0/3552 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित को सहर्ष तुरंत प्रभाव से कृषि उपज विपणन समिति, केशोपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

तीन मनोनित कृषक

1. श्री जयपाल सिंह, : सदस्य
सु0 स्व0 श्री भरत सिंह
म.न. 665, गांव व डाकखाना मुण्डका,
दिल्ली-110049.
2. श्री जग मोहन, : सदस्य
सु0 श्री सुशील कुमार
गांव शिकारपुर, दिल्ली-110043.
3. श्री नरेन्द्र, : सदस्य
सु0 श्री याद राम
म.न. 60, चक्की वाली गली,
गांव व डाकखाना कांगनहेड़ी, छावला,
नई दिल्ली-110071.

दो निर्वाचित व्यापारी और आढ़ती

1. श्री अजय सिंह, : सदस्य
डब्लू जेड-159-ए गांव तिहाड़,
नई दिल्ली-110018.
2. श्री जे.पी. असनानी, : सदस्य
2/43ए, पुराना महावीर नगर,
तिलक नगर,
नई दिल्ली-110018.

स्नादी

एक प्रतिनिधि स्थानीय प्राधिकरण

1. श्री राजीव कुमार (वार्ड - 029-एस) : सदस्य

एक सदस्य दिल्ली विधानसभा


1. श्री जरनेल सिंह, विधायक : सदस्य
15/5-ए, तिलक नगर,
नई दिल्ली-110018.

दो मनोनित सदस्य उपभोक्ता हितकर वर्ग

1. श्री राघे श्याम, : सदस्य
सु0 स्व0 श्री बुध प्रकाश शर्मा
ई-24 एवं 25, विकास नगर,
दिल्ली-110059.
2. श्री जहांगीर फिरदोष, : सदस्य
सु0 स्व0 श्री जैनुददीन अहमद
ई-49/ए-298, गली नं0 2,
जनता मजदूर कॉलोनी, दिल्ली-110053.

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के नाम से तथा उनके आदेश पर,


(साक्षी मित्तल)

संयुक्त सचिव (कृ0वि0)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ 8(37)/2016/डी0ए0एम0/एम0आर0/3553-67

दिनांक : 21/12/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर, शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम् पशु विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 14 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 15 गार्ड फाईल।

स्तादी

(साक्षी मिलल)

संयुक्त सचिव (कृषि)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार